न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

---

अनवान -

01- राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री मलकीतसिंह जाति कम्बोसिख निवासी गोमावाली तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

.....वादी.....

वनाम-

01 मलकीतसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति कम्बोसिख निवासी गोमावाली तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

02 दर्शनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति कम्बोसिख निवासी गोमावाली तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

03 सरजीतसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति कम्बोसिख निवासी गोमावाली तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

04 अमरजीतकौर पुत्री मलकीतसिंह पत्नी मनजीतसिंह जाति कम्बोसिख निवासी 69 आर. वी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

05 बलजीतकौर पुत्री मलकीतसिंह पत्नी हरविन्द्रसिंह जाति कम्बोसिख निवासी वार्ड नं. 10 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

06 भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री मलकीतसिंह जाति कम्बोसिख निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

07 राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार श्रीविजयनगर ।

.....प्रतिवादीगण.....

उपस्थिति- 01. श्री प्रेमसिंह सैनी, श्री बक्शीश सिंह थिन्द वकील वादी।
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188-209-92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 )
राजस्व प्रकरण संख्या - 65/2016 निर्णय दिनांक - 17/12/2024
(जी.सी.एम.एस.-2016/00090)

---

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि -
यह कि उपरोक्त प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज भूमि चक 5 जीएम व 6 जीएम की भूमि में 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 के मध्य बाहमी बंटवारा काफी अर्सा पूर्व कर दिया हुआ है जिसमें वादी के हिस्सा में 2.06 बीघा (0.577है.) भूमि प्राप्त हुई है उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण सभी के साथ संयुक्त रूप से कब्जा काश्त में चली आ रही है उपरोक्त भूमि 0.577 है0 का वादी स्वंय को खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। वादी के हिस्सा में आयी भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाने बाबत् वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से सम्पर्क कर समय समय पर निवेदन किया जाता रहा जिस पर प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा उपरोक्त भूमि संयुक्त खाता में होने से अन्य प्रतिवादीगण जो कि प्रतिवादी सं. 1 के भाई ही है को एकत्र का बंटवारा करते हुए उसी समय बाहमी बंटवारानुसार वादी व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के नाम से दर्ज उनके हिस्सा में आयी भूमि अनुसार दर्ज करवाने का आश्वासन दिया जिस पर वादी

Scanned with CamScanner

विश्वास करता रहा एंव समय व्यतित होता रहा किन्तु गत माह 15-08-2016 को श्रीविजयनगर में राजस्व प्रकरणो के निस्तारण हेतु राजस्व कैम्प का आयोजन किया जाने की जानकारी वादी को होने पर वादी ने सभी प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर उपरोक्त संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही भूमि को अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से भूमि किस्म अनुसार कब्जा काश्त अनुसार रास्ता, खाला आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए विधिक विभाजन करते हुए वादी का इसमें निहित हक वा हिस्सा की भूमि को वादी के नाम से दर्ज करवाने गवत कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया व प्रतिवादी सं. 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि वह वादी के हक वा हिस्सा की भूमि वादी को नहीं देगा एंव जिस प्रकार पूर्व में जद्दी जायदाद में से चक 14 जीएम की भूमि को विक्रय कर वादी को उसके हक वा हिस्सा से महरूम कर दिया है उसी प्रकार उक्त चक 5 जी. एम व 6 जी.एम की भूमि में भी अपने दर्ज हिस्सा को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि भूमि से वादी को महरूम एंव बेदखल जबरन,विधि विरूद्ध तरीको से भू माफिया लौगो की मदद से कर देगा बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त भूमि जो कि जद्दी जायदाद जिसमें वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है को राजस्व रिकार्ड में मात्र अपने नाम से दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए अन्य को रहन, विकय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर वादी को वादी के हक वा हिस्सा एंव कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एंव बेदखल जबरन करने पर आमादा है एंव ऐसा पूर्व में भी प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा चक 14 एम की भूमि में किया जा चुका है अब यदि उपरोक्त 5 व 6 जीएम की भूमि को भी विना विधिक विभाजन किये व वादी के हक वा हिस्सा को वादी के नाम से दर्ज करवाये विना अन्य को रहन, विकय या अन्य प्रकार सेअन्तरित कर देता है तो वादी के विधिक अधिकारो का हनन होगा एंव वादी को अपने हक वा हिस्सा तथा कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एंव बेदखल जबरन होना पडेगा जिससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एंव वादी के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं रह जावेगा व तृतीय पक्षकारान के हित सृजित होने से वादी को न्याय प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब होगा एंव पक्षकारान के मध्य मुकदमाबाजी बढेगी जिससे भारी असुविधा व काश्त मे परेशानी वादी को होगी इसलिए वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाद की सम्पत्ति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जिसे प्रतिवादी सं. 01 ने सहमति व स्वतंत्र इच्छा से बांटकर दिया हुआ है जो कि वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त कब्जा में चला आ रहा है इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक ईंच पर वादी का हक वा हिस्सा निहित है व वादग्रस्त भूमि में वादी का निहित हक वा हिस्सा पैरा सं. 2 में वर्णित चक 5 जीएम व 6 जीएम की कुल भूमि 8.653 है0 में प्रतिवादी सं. 1 का दर्ज 1/3 हिस्सा में से वादी का 1/5 हिस्सा है जिसे वादी ने संवारा सुधारा कृषि योग्य बनाया है इसलिए में अपना अथाह धन व परिश्रम खर्च किया है इसलिए उपरोक्त भूमि में वादी अपने अधिकारो की घोषणा जरीये वाद करवाने का विधिक अधिकारी है। राजस्थान सरकार भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए पक्षकार मुकदमा बनाया गया है । वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे कि -

1- यह कि वादी को वादग्रस्त भूमि वाके चक 6 जीएम तहसील श्रीविजयनगार का मु. न. 223/7 का किन. 24,25 का 0. 506 है. प.न. 223/8 का कि.न. 3 ता

Scanned with CamScanner

8, 13 ता 17, 24, 25 का 3.289 है. व प.न. 223/15 का कि.न. 21/1 का 0.227 हैक्टर प.न.223/16 का कि.न. 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1, 22 का 1.392 है. प.न. 224/9 का कि.न. 1/1, 2, 10/1 का 0. 709 है. कुल 6.123 है. खाता सं. 13 में व चक 5 जी.एम. का प. न. 224/1 का कि.न. 4 ता 7, 15, 16, 24, 25 का 2.024 है. प.न. 224/9 का कि.न. 11, 20 का 0.506 है. कुल 2.530 है0 खाता सं. 33 मे कुल भूमि 8.653 है0 में प्रतिवादी सं.1 का दर्ज 1/3 हिस्सा में से वादी का 1/5 हिस्सा का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाकर मुताबिक डिकी उपरोक्त रकबा वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।

2- यह कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि किस्म अनुसार विधिक विभाजन किया जाकर वादी का हिस्सा किलावाईज पृथक वादी के नाम से दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 बाद तामील नोटिस उपस्थित नहीं आये। जिसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 पैराकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध पूर्व में ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। इसलिए तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाधक बिन्दू नहीं होने के कारण वादिया का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उपयुक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 6 जीएम तहसील श्रीविजयनगार का मु.न. 223/7 का कि0न0 24, 25 का 0. 506 है. प.न. 223/8 का कि.न. 3 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 का 3.289 है. व प.न. 223/15 का कि.न. 21/1 का 0.227 हैक्टर प.न. 223/16 का कि.न. 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1, 22 का 1.392 है. प.न. 224/9 का कि.न. 1/1, 2, 10/1 का 0. 709 है. कुल 6.123 है. खाता सं. 13 में व चक 5 जी.एम. का प.न. 224/1 का कि.न. 4 ता 7, 15, 16, 24, 25 का 2.024 है. प.न. 224/9 का कि. न. 11, 20 का 0.506 है. कुल 2.530 है0 खाता सं. 33 मे कुल भूमि 8.653 है0 भूमि के 1/3 हिस्सा में से वादी का 1/5 हिस्से भूमि की किस्म के अनुसार किला वाईज विभाजन प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार कब्जा काश्त एवं खाला व रास्ता की सुविधा को देखते हुए तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner